# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगान

प्रकरण सं0 16/2019 वर्ष 2019

राजस्थान सरकार बनाम किशनलाल पुत्र बनवारीलाल ब्राह्मण चक [illegible]

प्रस्तुतिकरण दिनांक 18/2/19 निर्णय दिनांक 5/3/19

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यावाही का इतिशियंल्स जज | पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किय |
|---|---|---|
| 5/3/19 | पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्वत् 2075 में भूमि रकबा राज दर्ज है।<br>अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का 30GB के प्रतिवेदन दिनांक 18/2/19 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी किशनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी 29GBA(श्रीपुरा) को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अर्न्तगत चक 29GBA मु.नं. 183/410 कुल 2.430 है0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू0 राजस्व की दर का 50 गुणा राशि 1094/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू0अधि0 SBNK को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे।<br>निर्णय आज दिनांक 5/3/19 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।<br><br>तहसीलदार (राजस्व)<br>श्री विजयनगर<br><br>'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 38 की क्रम सं. 02 दिनांक 14-3-19 को 1094 दर्ज किया गया।<br><br>ता0रा0ले0 | |

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2019.12.13 16:44:44:48 IST
Reason: SelfAttested